

29-11-17

वकुलाम जरी के वृद्धि
की मांग A-2 लाह दोरे पर
पत्रादि 30 है। कृता पत्रावली अर्थात्
दिनांक 30-11-17 के पत्र है।

30-11-17

वकुलाम जरी के वृद्धि।
वादी द्वारा जरी में वकीलकरी
प्राप्ति-पत्र कावत जरी में शर्जीनामा
दावा विज्ञापन करने पत्र किया जाने पर
वकील प्रतिवादी द्वारा प्राप्ति-पत्र पर
No-objection किया गया। वकील
वादी / वादी द्वारा कथन किया गया है,
कि पक्षकारान्द के अक्षर लोक कालवत
की भावना से शर्जीनामा हो गया है।
जिसके कारण दावे को अगे नही
चलाना चाहते हैं। कृता जरी में शर्जीनामा
दावा विज्ञापन करने का कौडिग करके।
चूंकि पक्षकारान्द के बीच शर्जीनामा
के जाने से वादी दावे को अगे नही
चलाना चाहता है। कृता दावा वादी
जरी में विज्ञापन खारिज किया जाता है।
पत्रावली जिसके अंतर्गत होकर नंबर
से काम है।
निर्णय से इमलाय हुआ गया।

केशव
↓

महायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
बामौर जिला-पंजाब